

25/6/18

प्राथमिकी राजस्व लोक सहायक केम्य सुं सुरावात
 पर प्रश्न 52/ धर्मी उपो। प्रेरोकार
 सरकार उपो। प्रेरोकार सरकार द्वारा
 प्राप्त प्रांशु दिनांक 25/6/18 के अनुसार उक्त
 उक्त के संदर्भ में मूलवादा सं-भायालय
 के सु. नं. 55/2012 विषय दिनांक 17.7.15
 निर्णय लेकर ग्राम सुरावात के प्रांशु
 के प्र. में नामान्तरण सिद्धा 13/3
 फेराल दिनांक 7/2/12 के लेकर अमल में
 पुका है। एवं एच संदर्भ में सहा. प्रेरोकार
 एवं उपखण्ड अधिकारी के प्र. सं. 55/2012
 विषय दिनांक 27/6/17 से विभाजन की
 डिडी पारित लेकर उसका नामान्तरण
 सिद्धा 1344 फेर. कर राजस्व रेकार्ड
 में अमल कराया है - पुका है।

अतः उक्त प्र. पर में संदर्भ में
 मूलवादा 55/12 का विचारण होने से
 कोई कार्यवली शेष नहीं है।

उपखण्ड प्रेरोकार द्वारा की रिपोर्ट
 एच न्यायालय के मूलवादा प्र. सं. 55/12 दिनांक
 27/6/17 से विभाजन की डिडी पारित होने से
 प्राथमिकी पर में कोई कार्यवली शेष नहीं रहे है
 प्राथमिकी पर 0-39 P-2 र CPC की स्तर पर थारिज
 किया जाता है। प्राथमिकी प्रेरोकार सुं सुरावात
 से कत है।

सहायक कलेक्टर:

(उपखण्ड अधिकारी)

भंगगापुर जिला मूलवादा. (राज.)